राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा/बैठक/2011/ 4521-719 दिनांक : 9/12/11

—: कार्यालय आदेश :—

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपजिला/सैटेलाईट अस्पतालों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकारों एवं लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 16—12—2011 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। **समस्त लेखाकर्मी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना अपने साथ लेकर आयेगें :—**

1. **आयोजना मद RE-2011-12 एवं BE-2012-13 के बजट** प्रस्तावों एवं अन्य प्रपत्रों को ऑन लाईन कर एक हार्ड कॉपी निकाले तथा उसका मिलान निदेशालय में प्रस्तुत प्रस्तावों से करे तथा यदि कोई अन्तर हो तो उसको दुरस्त करे तथा दुरस्त की हुई हार्ड कॉपी निदेशालय को प्रस्तुत करें।
2. **जोन/मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी कार्यालय** में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि मीटिंग दिनांक से पूर्व उनके अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सा संस्थानों को आयोजना मद (Plan Budget) में जिन—जिन शीर्षकों के अन्तर्गत बजट आवंटित किया है उनके क्र.सं.—1 के प्रस्ताव एवं प्रपत्र ऑन लाईन कर दिये है।
3. **अंक मिलान** :—IFMS में दर्शाये गये बजट आवंटन/व्यय/उपलब्ध प्रावधान का मदवार सम्बन्धित कोषालय से मिलान कर दिनांक 30.11.2011 तक करने एवं अशुद्धियों को सही करवाकर कोषालय से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति एवं प्रस्तावित ट्रान्सफर एन्ट्री की एक प्रति मीटिंग के साथ लावें।
4. **बकाया दावों का निस्तारण** :—बजट घोषणा के क्रम में वित्त विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में बकाया दायित्वों को दिनांक 16.08.2011 से 15.11.2011 तक विशेष अभियान चलाकर निपटाया जाना था। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी हैं अतः समस्त बकाया दावों को निपटाये जाने की अद्यतन सूचना निर्धारित प्रपत्र में बैठक में साथ लावें।
5. **मासिक व्यय विवरण** :—सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी अपने—अपने अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सा संस्थानों के माह नवम्बर, 2011 तक के समस्त व्यय मदों (आयोजना भिन्न/आयोजना/सीएसएस) का मासिक व्यय विवरण आवश्यक रूप से साथ में लावें।
6. **स्टोर्स में उपलब्ध अनुपयोगी निस्तारित योग्य सामग्री का विवरण एवं निस्तारण की प्रगति का विवरण।**
7. **प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कार्यालयों में कार्यरत लेखाकार/लेखा कार्मिक निम्नलिखित सूचनाओं के साथ बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होगें :—**
   1. उक्त क्रम सं0 1 एवं 3 की सूचना।
   2. लम्बित बकाया दावों के निस्तारण की नवीनतम स्थिति (16.08.11 से अब तक की अद्यतन स्थिति)
   3. अनुपयोगी सामग्री/नकारा वाहनों के निस्तारण की सूचना निर्धारित प्रपत्र में।
   4. लम्बित चोरी/गबन के प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र में केसवार नवीनतम सूचना।
   5. एजी/निरीक्षण विभाग/आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनाएं।
8. जनलेखा समिति के निर्णय की क्रियान्विति बाबत निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/बैठक/2011/ 4521-719 दिनांक : 9/12/11

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय ....
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
9. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन........
11. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...
12. समस्त लेखाकार, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय..............................
13. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
14. प्रभारी सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस आदेश को विभाग की वेब—साईट पर अपलोड़ करने का श्रम करे।
15. केयर टेकर, कृपया दिनांक 16/12/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
16. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर